Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति– 1–ओ०पी० दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–235 / 2025

श्री बची राम,पुत्र श्री मदन राम,
ग्राम–कफड़ा, रानीखेत ,
जिला– अल्मोडा। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
रानीखेत,, प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या आर0एन0 / 23316127165 के सापेक्ष विगत में विभाग द्वारा निर्गत बिल जमा किये जाते रहे है परंतु फिर उन्हें रु0 1723 का बिल प्राप्त हुआ है जिसमें अतिरिक्त जानत राशि शामिल है। उन्होने उपरोक्त बिल को ठीक करवाने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 842 दिनांक 07.04.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की पहली सुनवाई तिथि दिनांक 16.04.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ उपस्थित श्री आयुष चौहान एस.डी.ओ. ने बताया कि प्रकरण में आख्या तैयार की जा रही है और अगली सुनवायी तिथि से पहले आख्या प्रेंषित कर दी जाएगी। अगली सुनवायी की तिथि 02.05.2025 नियत की गई थी।

3.मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 02.05.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री आयुष चौहान एस.डी.ओ.उपस्थित हुए। उन्होने बताया कि प्रकरण अतिरिक्त जमानत धनराशि के बारे में है। उन्होने प्रकरण में आख्या प्रस्तुत करने के लिए 10 दिनों का समय मांगा था। अगली सुनवायी की तिथि 19.05.2025 नियत की गई थी।

3..मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक–02.06.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान एस.डी.ओ. ने बताया कि उपभोक्ता की सिक्योरिटी में से रु0 4743 की धनराशि वादी के बिल में समायोजित कर दी गयी है। और अब वादी की समस्या का निस्तारण हो गया है।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी की की सिक्योरिटी में से रु0 4743 की धनराशि वादी के बिल में समायोजित कर दी गयी है और अब वादी की समस्या का निस्तारण हो गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 02.06.2025

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित 02/6/25
तकनीकी सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या--238 / 2025

श्रीश्रीमती चमेली पाण्डे,
ग्राम–माल,
जिला– अल्मोडा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला–अल्मोड़ा,

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके खेत में एक बिजली का पोल लगा हुआ है जिससे कोई हादसा हो सकता है। उन्होने पोल को हटवाकर पहले के स्थान पर लगवाने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 846 दिनांक 21.04.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 02.05.2025 / 19.05.2025 में वादी की तरफ से वादी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री हितेश पाण्डे उपस्थित हुए। विभाग की तरफ श्री तुषार चौहान ए.ई.आर. उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से मंच के पत्र संख्या 846 दिनांक–21.04.2025के अनुक्रम में कोई आख्या प्राप्त नहीं हुयी है। विभाग को कहा जाता है कि वह 10 दिन के अंदर प्रकरण में विस्तृत आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 02.06.2025 नियत की गई थी।

2 .मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 02.06.2025 में वादी की तरफ से श्री हितेश पाण्डे पुत्र श्रीमती चमेली पाण्डे तथा विभाग की तरफ श्री तुषार चौहान ए.ई.आर. उपस्थित हुए।वादी ने बताया कि पहले ये पोल लगभग 25 फीट दूर लगा हुआ था जिसको विभाग ने बिना उनकी अनुमति के, उनके खेत में लगा दिया है। उस समय वादी घर में अकेली थी और उन्होने मना भी किया था, परंतु विभाग ने जबरदस्ती पोल को लगा दिया। उन्होने बताया कि यह पोल पड़ोसी के भवन से सटा हुआ है तथा पड़ोसी का कहना है कि इस पोल को लगाने की वजह से जान– माल का खतरा हो सकता है। उन्होने इस पोल को किसी सुरक्षित जगह पर लगवाने का निवेदन किया है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वादी की उपस्थिति में जेई / एई के स्तर पर निरीक्षण कर उक्त पर विस्तृत आख्या मंच की अगली सुनवायी तिथि 17.06. 2025 से पहले भेजना सुनिश्चित करें।

3..मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 17.06.2025 में वादी की तरफ से श्री हितेश पाण्डे तथा विभाग की तरफ से श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय उपस्थित हुए। मंच ने अपने निर्देश दिनांक 02.06.2025 के द्वारा विभाग को निर्देशित किया था कि वादी की उपस्थिति में, जेई / एई द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। वादी ने बताया कि ना तो उनसे किसी ने संपर्क किया और ना ही कोई स्थलीय निरीक्षण के लिए कोई आया। विभाग ने स्थलीय निरीक्षण की दिनांक 02.06.2025 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें बताया गया है कि पोल शिफ्ट करने में एल.टी. की एबी केबल दूसरे उपभोक्ताओं के बरामदे या छत के ऊपर जाने से, उनसे एनओसी लेनी होगी।

17/6/25

17/06/25

उन्होने यह भी कहा है कि जिस खेत में विद्युत पोल लगा है वह सही स्थिति में लगा है। परंतु वादी इससे सहमत नहीं है। विभाग द्वारा विद्युत लाईन / पोल की शिफ्टिगके लिए एक पॉलिसी पहले से ही निर्धारित है जिसको मंच अतिक्रमण नहीं करना

आदेश

यह प्रकरण एलटी विद्युत पोल की शिफ्टिग के बारे में है जिसके लिए विभाग की पॉलिसी के अनुसार शिफ्टिग के लिए, शिकायतकर्ता को स्पष्ट आर.ओ.डब्लू. प्रदान करने के साथ, शिफ्टिग में आने वाली प्राकलन राशि का भुगतान करना पड़ता है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त विषयक प्रकरण में विभाग की निर्धारित पॉलिसी के अनुसार कार्यवाही कर 15 दिन के अंदर लिखित में वादी को सूचित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 17.06.2025

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–240/2025

श्री मदन सिंह , ग्राम–तडैनी, तहसील– जैंती जिला– अल्मोडा। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, अल्मोड़ा, — प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या ए0आर02/8422/918865 के सापेक्ष विगत में पिछले आठ माह (26 मई 2024 से 09 जनवरी 2025) तक का बिल 4065 आया था जोकि बहुत अधिक है। वादी ने उपरोक्त बिल को ठीक करवाने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 859 दिनांक 28.04.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा, को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की पहली सुनवाई तिथि दिनांक 02.05.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ उपस्थित श्री तुषार चौहान ए.ई.आर. ने बताया कि वादी के बिल रीडिंग आधारित है और ठीक हैं। वादी अगर मीटर चैक कराना चाहते है तो वह रु0 100 मापक शुल्क जमा करा सकते है। वादी का पक्ष जानने के लिये अगली सुनवायी की तिथि 19.05.2025 नियत की गई थी।

3.मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 19.05.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर. उपस्थित हुए। वादी का पक्ष जानने के लिये एक और अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवायी की तिथि 02.06.2025 नियत की गई थी।

3..मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 02.06.2025 में वादी की तरफ से श्री इंद्रर सिंह पुत्र श्री मदन सिंह तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर. उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी का बिल मई 2024 के बाद जनवरी 2025 में मीटर रीडर की गलती की वजह से एक साथ दिया गया है और अघतन् बिल रु0 4197 है। वादी का कहना है कि वह इतना बिल एक साथ जमा नही कर सकते। उन्होने बिल को 05 किश्तों में जमा करने के लिए निवेदन किया है जिसे मंच ने स्वीकार कर लिया है। विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि संबंधित मीटर रीडर के खिलाफ कार्यवाही करें जिसने 2024 के बाद 07 महीने के बाद वादी को डंप रीडिंग का बिल निर्गत किया है।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी का बिल मई 2024 के बाद जनवरी 2025 में मीटर रीडर की गलती की वजह से एक मुश्त दिया गया है और अघतन् बिल रु0 4197 है। वादी का कहना है कि वह इतना बिल एक साथ जमा नही कर सकते। उन्होने बिल को 05 किश्तों में जमा करने के लिए निवेदन किया है जिसे मंच ने स्वीकार कर लिया है। विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि संबंधित मीटर रीडर के खिलाफ कार्यवाही करें जिसने 2024 के बाद 07 महीने के बाद वादी को एकमुश्त बिल निर्गत किया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 02.06.2025

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–241 / 2025

श्री सूरज सिंह पिडारी,पुत्र श्री खीम सिंह, — वादी
ग्राम–भूरा, पो0ऑ0–द्वाराहाट,रानीखेत ,
जिला– अल्मोडा।

बनाम

अधिशासी अभियंता, — प्रतिवादी
विद्युत वितरण खण्ड,
रानीखेत,

जिला–अल्मोड़ा,

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या आर0एन0 / 13111023148 के सापेक्ष विगत में लगभग 60–70 यूनिट का बिल आता रहा है परंतु जनवरी 2025 में 568 यूनिट का बिल प्राप्त हुआ है जोकि बहुत अधिक है।वादी ने उपरोक्त बिल को ठीक करवाने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 868 दिनांक 06.05.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की पहली सुनवाई तिथि दिनांक 19.05.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ उपस्थित श्री आयुष चौहान एस.डी.ओ. ने बताया कि वादी का बिल जनवरी 2024 से रीडिंग के आधार पर संशोधित होकर रु0111 ऋणात्मक बना है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवायी तिथि 02.06.2025 नियत की गई थी।

3..मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 02.06.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग पहले ही बता चुका है कि वादी का बिल संशोधित होकर रु0 111 ऋणात्मक बना है।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी का बिल जनवरी 2024 से रीडिंग के आधार पर संशोधित कर दिया गया है जो कि अब संशोधित होकर रु0111 ऋणात्मक बना है। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 02.06.2025

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या–242/2025

टीएलसी द्वाराहाट, अजीम प्रेमजी फांउडेशन फॉर डेवलमेंट, रानीखेत
जिला– अल्मोड़ा। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
रानीखेत — प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होने कालीखोली रोड पर स्थित श्री भगवान चौधरी के भवन के ग्राउंड फ्लोर को अजीम प्रेमजी फांउडेशन फॉर डेवलमेंट के टीचर लर्निग सेण्टर एंव पुस्तकालय संचालन हेतु किराये पर लिया है जिसमें उन्होने 2 किलोवाट विद्युत कनेक्शन लगाने हेतु आवेदन किया है। उन्होने संयोजन निर्गत कराने के लिये निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 869 दिनांक 06.05.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की पहली सुनवाई तिथि दिनांक 19.05.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान एस.डी.ओ. ने बताया कि वादी का संयोजन दिनांक 16.05.2025 को निर्गत कर दिया है। वादी का पक्ष जानने के लिये अगली सुनवायी तिथि 02.06.2025 नियत की गयी थी।

3.मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 02.06.2025 में भी वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान एस.डी.ओ. ने पहले ही बताया है कि वादी का संयोजन दिनांक– 16.05.2025 को निर्गत कर दिया है।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी का संयोजन दिनांक– 16.05.2025 को निर्गत कर दिया है और वादी की शिकायत का निवारण कर दिया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं।

आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 02.06.2025

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य